विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0021911

श्री द्वारकाप्रसाद साहू,
मेसर्स नवीन आईस केण्डी,
14/1, रावजी बाजार मेनरोड़, — आवेदक
इन्दौर (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (दक्षिण शहर) संभाग, — अनावेदकगण
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 22.04.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रकरण क्रमांक W0189011 मेसर्स नवीन आईस केण्डी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (दक्षिण शहर) संभाग, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर में पारित आदेश दिनांक 23.07.2011 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता द्वारा यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने दिनांक 09.05.11 को फोरम के समक्ष इस आशय का अभ्यावेदन (शिकायत) प्रस्तुत की थी कि भार वृद्धि हेतु पूर्ण राशि जमा करने के बाद उसके पम्प में भार वृद्धि नहीं की गई है । दिनांक 18.04.11 को बनाया गया पंचनामा गलत एवं नियम विरूद्ध होने पर भी उसे 3 वर्ष की बिलिंग कर मानसिक प्रताड़ना दी गई है । अतः भार वृद्धि की जमा राशि अनुसार भार बढ़ाया जाए तथा जान–बूझकर लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर पंचनामा बिल निरस्त किया जाए । इस शिकायत पत्र के साथ उपभोक्ता ने भार वृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न नहीं की थी और इस बात का भी कोई विवरण नहीं दिया था कि उसने ऐसा आवेदन पत्र कब प्रस्तुत किया था ।

3. फोरम के आदेश पत्र दिनांक 20.05.11 के अनुसार अनावेदक की ओर से शिकायत का जवाब प्रस्तुत किया गया था । इस जवाब के शीर्षक में पेशी दिनांक 20.09.11 लिखी गई है तथा जवाब प्रस्तुत करने वाले सहायक यंत्री ने अपना नाम तथा दिनांक जवाब के अन्तिम पृष्ठ में अंकित नहीं की है, परन्तु

प्रथम पृष्ठ में 20.05.11 अंकित है । इस जवाब की प्रति उपभोक्ता को दिया जाना लेख है, परन्तु उसकी प्राप्ति स्वीकृति उपभोक्ता द्वारा जवाब में अंकित नहीं की गई है । उक्त जवाब के अनुसार आवेदक को 22 हार्स पावर का विद्युत संयोजन दिया गया था । दिनांक 15.04.11 को निरीक्षण करने पर 22 हार्सपावर के स्थान पर 36.39 हार्स पावर भार अनाधिकृत रूप से चलते पाया गया था । इसके पूर्व उपभोक्ता द्वारा पंचनामा क्रमांक 2443 x 22 की जमा की गई बिलिंग राशि की रसीद दिखाई एवं बताया गया कि उसके द्वारा भार वृद्धि की राशि पूर्व में जमा कराई गई है । उपभोक्ता के परिसर में पूर्व में बनाए गए पंचनामा का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर में 22 हार्स पावर स्वीकृति के स्थान पर 28 हार्स पावर का भार अनाधिकृत रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा था, जिसके बिल की राशि उपभोक्ता द्वारा किस्तों में जमा कराई गई थी । उपभोक्ता द्वारा दिनांक 15.04.11 को बनाए गए पंचनामा से संबंधित राशि के संबंध में यह जानकारी दी गई है कि उपभोक्ता द्वारा 22 हार्स पावर से 28 हार्स पावर भार वृद्धि की राशि माह जुलाई 2008 में जमा कराई गई थी, परन्तु त्रुटिवश उपभोक्ता से 22 हार्स पावर की बिलिंग हो रही थी । अतः जुलाई, 2008 से अप्रैल, 2011 तक 22 हार्स पावर के स्थान पर 28 हार्स पावर के मान से विद्युत देयक जारी किए गए हैं तथा 28 हार्स पावर से 36.39 हार्स पावर पाए जाने पर उक्त भार को अनाधिकृत मानते हुए एक वर्ष के लिए फिक्स चार्ज की बिलिंग की गई है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है । यहां इस तथ्य के उल्लेख किया जाना उचित होगा कि अनावेदक की ओर से सहायक यंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता द्वारा 22 के स्थान पर 28 हार्स पावर तथा 28 के स्थान पर 36.39 हार्स पावर का अनाधिकार पूर्वक विद्युत का उपयोग करना पाए जाने पर भी निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई थी ।

4. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का जवाब प्रस्तुत होने के बाद उपभोक्ता ने अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का प्रतिवाद भारतीय गैर न्यायिक स्टॉम्प में शपथ–पत्र के रूप में प्रस्तुत किया और उक्त शपथ–पत्र में यह लेख किया कि उसके यहां कभी भी 25.75 हार्स पावर से ज्यादा लोड नहीं पाया गया । उसने कम्पनी द्वारा मांग की गई राशि 2008 में जमा कर दी थी । ऐसी स्थिति में कम्पनी द्वारा पैसा जमा कराने के बाद भार वृद्धि नहीं करना और उपभोक्ता को पैनल बिल एवं पंचनामा बनाना न्यायसंगत नहीं है । दिनांक 16.01.11 को उसका विद्युत संयोजन काट दिया गया । दिनांक 18.01.11 को पूरी राशि जमा करवाने के बाद तथा आर.सी.डी.सी. का चार्ज लेने के बाद उसे कनैक्शन दिया गया । फोरम के आदेश दिनांक 20.05.11 के पालन में उसने विपक्षी के कार्यालय में ए क्लॉस

ठेकेदार द्वारा जारी किया गया 25.75 हार्स पावर का प्रमाण–पत्र दिनांक 21.05.11 को प्रस्तुत किया गया । अतः दिनांक 15.04.11 को बनाए गए पंचनामा को निरस्त करते हुए विपक्षी को आगामी माह से बढ़े हुए भार का बिल प्रदान किया जाए । फोरम की नस्ती का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि दिनांक 20.05.11 को ए–क्लॉस ठेकेदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करने का लिखित निर्देश फोरम द्वारा नहीं दिया गया था, परन्तु आदेश पत्र में यह लेख है कि परिवादी को निर्देश दिए गए । यह निर्देश क्या थे, किस प्रयोजन से दिए गए थे, निर्देश देने का क्या औचित्य था, यह समझ से परे हैं ? फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया था कि अनावेदक द्वारा अन्तिम निर्धारण आदेश की जिस राशि का देयक उपभोक्ता को जारी किया गया है, उसे निरस्त किया जाता है । इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी दिया गया था कि दिनांक 07.05.2008 से उपभोक्ता की संविदा मांग/स्वीकृत भार 28 हार्स पावर मान्य किया जाता है तथा इस दिनांक से विपक्ष द्वारा 22 हार्स पावर स्वीकृत भार के स्थान पर 28 हार्स पावर संविदा मांग मानकर टैरिफ के अन्तर की राशि चार्ज एवं फिक्स चार्ज की राशि का बिल अनावेदक द्वारा जारी किया जाए, जिस पर कोई पैनल्टी देय नहीं होगी । इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी दिया गया कि दिनांक 15.04.11 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर विपक्ष द्वारा 28 हार्स पावर एवं 37 हार्स पावर के अन्तर का भार 9 हार्स पावर को अनाधिकृत मानते हुए एक वर्ष के लिए फिक्स चार्ज की जो बिलिंग की गई है उसे निरस्त किया जाता है । यह निर्णय भी दिया गया कि विपक्ष द्वारा पालन प्रतिवेदन 21 सितम्बर, 2011 को प्रस्तुत किया जाए तथा परिवादी (उपभोक्ता) लिखित में अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहे ।

5. फोरम की नस्ती के आदेश पत्र का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि दिनांक 23.07.11 को आदेश पारित करने के बाद संबंधित कार्यपालन यंत्री से पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.09.11 की तारीख नियत की गई । इस तारीख को परिवादी की ओर से इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि फोरम के आदेश का पालन अनावेदक द्वारा नहीं किया गया है । स्थगित दिनांक 19.10.11 को पुनः उपभोक्ता ने एक आवेदन पेश किया, जिसकी प्रति अनावेदक को भेजने का निर्देश दिया गया । स्थगित दिनांक 16.11.11 को उपभोक्ता ने फोरम को यह बताया कि उसका बिल रू. 63000/– का बनता है, परन्तु विपक्ष द्वारा रू. 191254/– का बिल दिया गया है । इस दिन अनावेदक की ओर से सहायक यंत्री श्री झारिया उपस्थित थे । फोरम द्वारा उन्हें सुना गया था तथा प्रकरण को नस्तीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था ।

6. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है उसका मुख्य आधार यह है कि उसके द्वारा ए–क्लॉस ठेकेदार का जो प्रमाण–पत्र दिनांक 21.05.11 को प्रस्तुत किया गया है । उसके अनुसार उसके परिसर में स्थापित संयंत्र का कुल भार 25.75 हार्स पावर है । अतः फोरम ने दिनांक 07.05.2008 से उसके संयंत्र का कुल भार 28 हार्स पावर माने जाने का जो निष्कर्ष दिया है, वह गलत है तथा इसके आधार पर विद्युत बिल जारी करने का जो आदेश दिया है, वह गलत है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा वह प्रश्न भी उपस्थित किए गए हैं जो प्रश्न उसने फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं किए थे, अतः ऐसे असंगत प्रश्नों पर विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या उपभोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किए जाने योग्य है तथा उसके परिसर में स्थापित संयंत्र का कुल भार 25.75 हार्स पावर मान्य किए जाने योग्य है ?

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है</u> :–

7. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 में विद्युत के अनाधिकृत उपयोग को परिभाषित किया गया है । इस मामलें में दिनांक 07.08.2005 को अनावेदक की ओर से उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर उसके परिसर में स्थापित संयंत्रों का जो कुल भार निकाला गया था, वह यद्यपि स्वीकृत भार 22 हार्स पावर से अधिक था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग किन्हीं कृत्रिम साधनों द्वारा या ऐसे साधन द्वारा जो विद्युत लाईसेंसी द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया था, के द्वारा या मीटर मे छेड़छाड़ कर या विद्युत के प्राधिकृत प्रयोजन से अतिरिक्त प्रयोजन के द्वारा या प्राधिकृत परिसर के अतिरिक्त अन्य परिसर में विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा था । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर में स्थापित संयंत्रों का भार बढ़ाने का आवेदन दिया गया था तथा जुलाई, 2008 में राशि भी जमा की गई थी, परन्तु जुलाई 2008 में उपभोक्ता द्वारा राशि जमा करने के बाद भी कुल भार को 22 हार्स पावर से 28 हार्स पावर क्यों तथा किन परिस्थितियों में नहीं किया गया इसका कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध दस्तावेजों में प्राप्त नहीं होता है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा भार वृद्धि की राशि जुलाई, 2008 में जमा की गई थी, जबकि उसके परिसर में 07 मई, 2008 को निरीक्षण करने पर कुल भार 28 हार्स पावर पाया गया था । दिनांक 07.05.2008 के पहले उपभोक्ता ने कुल भार बढ़ाने का आवेदन दिया था, इसका कोई स्पष्टीकरण फोरम में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने से प्राप्त नहीं होता है । अतः दिनांक 07.05.2008 से उपभोक्ता के परिसर का कुल भार 28 हार्स पावर माने जाने का निष्कर्ष फोरम ने किस आधार पर दिया है, इसका भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है । दिनांक 07.05.2008 को निरीक्षण करने पर

यदि उपभोक्ता के परिसर में 28 हार्स पावर के संयंत्र स्थापित थे तो इसका अर्थ यह था कि उपभोक्ता दिनांक 07.05.2008 के पहले से 22 हार्स पावर के स्थान पर 28 हार्स पावर की क्षमता के विद्युत संयंत्रों का उपयोग कर रहा था । फोरम द्वारा इस तथ्य का परीक्षण कर निष्कर्ष दिया जाना अपेक्षित था, परन्तु इस तथ्य के संबंध में अनावेदक कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा जवाब में स्पष्टीकरण न दिया जाना इस बात का परिचायक है कि अनावेदक कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का पालन उचित रूप से नहीं किया गया है ।

8. अनावेदक कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 07.05.2008 को आवेदक उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया था । इस पंचनामा के औचित्य को उपभोक्ता द्वारा नियमानुसार कोई चुनौती नहीं दी गई थी तथा उपभोक्ता ने स्वयं 22 हार्स पावर के स्थान पर 28 हार्स पावर के भार वृद्धि का आवेदन पेश कर जुलाई, 2008 में निर्धारित शुल्क जमा किया था । इससे यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उपभोक्ता ने इस तथ्य को मान्य किया था कि उसके परिसर में स्थापित संयंत्रों का कुल विद्युत भार 28 हार्स पावर है ।

9. उपभोक्ता ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया है कि उसने निजी ठेकेदार से परिसर का निरीक्षण कराया था, जिसमें उसके परिसर में स्थापित संयंत्रों का कुल भार 25.75 हार्स पावर होने का प्रमाण–पत्र दिया था । निजी ठेकेदार द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिनांक 21.05.11 को दिया गया था, जबकि पंचनामा दिनांक 07.05.2008 को बनाया गया था । ऐसी स्थिति में निजी ठेकेदार द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश उपभोक्ता को फोरम द्वारा दिए जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है तथा निजी ठेकेदार द्वारा दिए गए इस प्रमाण–पत्र का कोई विधिक महत्व उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा करने के लिए नहीं है । यदि उपभोक्ता को दिनांक 7.5.2008 को बनाए गए पंचनामा के संबंध में आपत्ति थी तो ऐसी आपत्ति उसके द्वारा तत्काल विद्युत वितरण कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना था अथवा इस तथ्य की जांच विद्युत निरीक्षक से कराया जाने का अनुरोध करना था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा ऐसी किसी प्रक्रियां का पालन नहीं किया गया था । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदायी कर्मचारियों द्वारा दिनांक 07.05.2008 को उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार के विद्युत संयंत्रों का उपयोग किया जाना पाए जाने पर भी उपभोक्ता के विरूद्ध समुचित कार्यवाही नहीं की गई थी ।

10. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत की थी उसमें मुख्य रूप से यह अनुतोष चाहा गया था कि उसके द्वारा जमा की गई राशि के अनुसार भार वृद्धि की जाए । पंचनामा के अनुसार उसे जो बिल बनाया गया है उसे निरस्त किया जाए तथा लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए ।

11. इस संबंध में फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि दिनांक 15.04.11 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण कर जो पंचनामा बनाया गया था उसे फोरम द्वारा निरस्त कर दिया गया है । दिनांक 07.05.2008 को जो पंचनामा बनाया गया था उसे कोई चुनौती उपभोक्ता द्वारा नहीं दी गई है तथा विद्युत वितरण कम्पनी और फोरम ने यह माना है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित संयंत्रों का कुल भार 22 हार्स पावर के स्थान पर 28 हार्स पावर है अर्थात् उसका कुल भार उसके चाहे अनुसार बढ़ा दिया गया है । अतः उपभोक्ता ने जो अनुतोष चाहा था वह अनुतोष उसे फोरम द्वारा दिया जा चुका है । जहां तक कर्मचारियों की लापरवाही का प्रश्न है, लापरवाही से विद्युत वितरण कम्पनी को ही नुकसान परिलक्षित होता है । उपभोक्ता को कर्मचारियों की लापरवाही से किसी तरह का नुकसान होना नहीं पाया जाता है ।

12. उपरोक्त विवेचन से उपभोक्ता के परिसर में केवल 27.75 हार्स पावर के पम्प स्थापित होना साबित नहीं होता है । अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है । अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

13. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति नियमानुसार उभयपक्ष को दी जावे ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल